केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन: 23353503 फैक्स: 23753923

याचिका सं. 122/टीएल/2024 दिनांक : 3.5.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

फतेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड, टी–15 ए, थर्ड फ्लोर, सल्कॉन रासविलास, साकेत, नई दिल्ली–110017 द्वारा विनियामक टैरिफ तंत्र मोड (इसके बाद "पारेषण योजना" के रूप में संदर्भित) के अधीन "400/220 केवी फतेहगढ़ IV पीएस (सेक्शन–1) के 220 केवी स्तर पर बस सेक्सशनलाइजर" के कार्यान्वयन के लिए पृथक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14, 15 और 79 (1) (ङ) के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति की मांग की गई है निम्नानुसार है:

क्र सं.	परियोजना का कार्यक्षेत्र	मद विवरण	कार्यान्वयन की समयसीमा
1.	400/220 केवी फतेहगढ़–IV पीएस (सेक्शन–1) के 220 केवी स्तर पर बस सेक्सशनलाइजर का एक सेट	220 केवी बस सेक्शनलाइजर–1 नं.	1.2.2025
	कुल अनुमानित लागत		**रु. 11.74 करोड**

2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 9.4.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 122/टीएल/2024 में दिनांक 30.4.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

4. फतेहगढ़ IV ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट **www.apraava.com** पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।

5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा(5) के खंड(क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक **20.5.2024** तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आयोग द्वारा दिनांक **22.5.2024** को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)
सचिव